न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर
(पीठासीन अधिकारीः— सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)
अपील संख्याः— 62/2021 (18 आयुध अधिनियम 1959) (RCMS No.2021/65)

रामभरोसी पुत्र हेतसिंह जाति ठाकुर निवासी परसुआपुरा थाना राजाखेडा जिला धौलपुर ।

.........अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर।

..........रैस्पोडैन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर दिनांक 29.8.2016

उपस्थितिः—

1. श्री कृष्ण कुमार सिंघल वकील अपीलान्ट।
2. सहायक लोक अभियोजक।

निर्णय

दिनांकः 27.2.2023

उक्त अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के निर्णय दिनांक 29.8.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट रामभरोसी द्वारा अपने शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 106/78 जो कि दिनांक 31.12.2007 तक नवीनीकृत था, को आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण किये जाने हेतु दिनांक 15.10.2015 को तहत अदालत के समक्ष आवेदन किया गया था। जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट तलब की गई। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 23.12.2015 के द्वारा अवगत कराया गया कि आवेदक के विरूद्ध थाना हाजा पर मुकदमा संख्या 18/2005 धारा 147,148,149,332,353,455 ता0हि0 व 3 पीडीपीपी एक्ट एवं 135 व 136 जन प्रतिनिधि अधिनियम में थाना राजाखेडा पर दर्ज हुआ था आवेदक के विरूद्ध गम्भीर प्रकृति का अपराध कारित होने एवं साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया है। जिसके कारण आवेदक अपीलान्ट रामभरोसी के शस्त्र अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंषा की गई। जिस पर अपीलान्ट की विधिवत सुनवाई की गई जबाब तलब किया गया। प्रकरण में बाद कार्यवाही तहत अदालत द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.8.2016 पारित करते हुये अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञापत्र को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया । इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली

27.2.2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

तलब की गई। रैस्पो0 की ओर से सहायक लोक अभियोजक उपस्थित हुए।वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिले मंसूखी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र संख्या 106/78 को निरस्त करने का विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है। अपीलाधीन आदेश जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया है, परन्तु जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर द्वारा अपीलान्ट के आचरण के सम्बन्ध में कोई सूचना या रिपोर्ट संबधित थानाअधिकारी से प्राप्त नहीं की है और ना ही अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई कृत्य किया गया है जिसमें शस्त्र का दुरूपयोग किया गया हो या अपीलान्ट आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति हो। अपीलान्ट को पूर्व के झूठे आपराधिक प्रकरणों के आधार पर दण्डित नहीं किया जा सकता है। अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञापत्र दिनांक 31.12.2007 तक नवीनीकृत था जिसे आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण किये जाने हेतु दिनांक 15.10.2015 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था अर्थात नवीनीकरण किये जाने के प्रार्थना पत्र दिनांक 15.10.2015 को या उसके पश्चात अपीलान्ट के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है ऐसी सूरत में अपीलान्ट द्वारा अपने आवेदन पत्र नवीनीकरण में कोई तथ्य नहीं छिपाया गया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में गलत तथ्य दर्ज करते हुये आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अपीलान्ट के विरूद्ध दर्ज प्रकरण फौजदारी अदालत द्वारा दिनांक 9.4.2015 को ही आरोप मुक्त कर बरी कर दिया गया है तथा उसके पश्चात अपीलान्ट के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। जिला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट में दर्ज आपराधिक प्रकरण राजनीतिक रंजिशवश दर्ज कराया गया प्रकरण था जिसमें न्यायालय द्वारा प्रार्थी अपीलान्ट को आरोप मुक्त किया गया है तथा अपीलान्ट के साथ दर्ज अन्य मुल्जिमान को भी आरोपमुक्त किया गया था। उसी आधार पर न्यायालय श्रीमान द्वारा पूर्व प्रकरण जीतेन्द्र बनाम राज0 सरकार में जिला कलक्टर धौलपुर के आदेश निरस्त कर प्रकरण पुनः प्रेषित किया गया था। जिसमें जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल कर नवीनीकरण किया गया है। इस समस्त तथ्य की जानकारी अधीनस्थ न्यायालय को होने के बाबजूद अपीलाधीन आदेश द्वारा निर्णय पारित कर अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त करने में कानूनी भूल की है। अपीलान्ट सीधा सादा व्यक्ति है जिसे शस्त्र की आवश्यकता जानमाल की सुरक्षा हेतु है क्यों कि अपीलान्ट का क्षेत्र दस्यू प्रभावित क्षेत्र है जिसमें कभी भी अपीलान्ट व उसके परिवार की जानमाल को खतरा हो सकता है। इसलिऐ अपीलाधीन आदेश काबिले मंसूखी है। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.8.2016 की कतई जानकारी नहीं थी क्यों कि अपीलान्ट ने अपने शस्त्र अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण हेतु

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

उचित फीस जमा कराकर नवीनीकरण का आवेदन पत्र पेश किया था परन्तु अपीलान्ट को लाइसेंस की नवीनीकरण न होने व शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त करने की कोई सूचना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं दी गई। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के कार्यालय में जानकारी हेतु बदस्तूर चक्कर लगाता रहा, परन्तु कार्यालय प्रभारी द्वारा आदेश की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 14.6.2021 को दी गई तो उसी दिवस नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसकी नकल प्राप्त होने पर कोविड–19 महामारी के कारण अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर सका । इसलिऐ होने जानकारी व मिलने नकल से अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है तथा कोविड–19 जैसी महामारी के कारण भी हुई देरी को क्षमा किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। जिसके लिये पृथक से धारा–5 मय शपथ पत्र पेश किया जा रहा है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे। तथा जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर दिनांक 29.8.2016 निरस्त करते हुए अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञापत्र को रिन्युअल किये जाने के आदेश दिये जावे।

वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए सहायक लोक अभियोजन ने तर्क दिया कि कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.8.2016 विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर ही पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अपीलान्ट के आपराधिक छवि के चलते जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट कमांक ह–1( ) धौलपुर / आर्म्स /15/6738 दिनांक 23.12.2015 के द्वारा यह स्पष्ट हो चुका है कि अपीलान्ट के विरूद्ध थाना हाजा पर मुकदमा संख्या 18/2005 धारा 147,148,149,332,353,455 ता0हि0 व 3 पीडीपीपी एक्ट एवं 135 व 136 जन प्रतिनिधि अधिनियम में थाना राजाखेडा पर दर्ज हुआ था यह एक गम्भीर प्रकृति का अपराध है हालाकि उसमें अपीलान्ट दोषमुक्त हो गया था किन्तु यहां गौरतलब है कि अपीलान्ट को न्यायालय द्वारा गुणावगुण के आधार पर दोषमुक्त नहीं किया गया है बल्कि साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया है। साथ ही जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा इस रिपोर्ट में अनुज्ञापत्र नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंषा भी की गई है। तहत अदालत ने अपीलान्ट को नोटिस जारी कर विधिवत सुनवाई भी की गई है। अपीलान्ट के द्वारा जबाब में मुकदमा दर्ज होना स्वीकार किया है साथ ही दोषमुक्त किया जाना भी अवगत कराया है। किन्तु यह नहीं बताया कि उसको संदेह का लाभ दिया जाकर साक्ष्यों के अभाव में बरी किया गया है। इसके अलावा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में मुकदमा संख्या 18/2005 धारा 147,148,149,332,353,455 ता0हि0 व 3 पीडीपीपी एक्ट एवं 135 व 136 जन प्रतिनिधि अधिनियम में थाना राजाखेडा में दर्ज अभियोग को छिपाने, अपीलान्ट के खिलाफ चुनाव के दौरान मतदान प्रक्रिया में व्यवधान, मारपीट, व सामग्री नष्ट करने का आरोप है। इस तरह के आरोप में संलिप्त रहने वाले व्यक्ति

27.2.2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

को अनुज्ञापत्र बहाल किया जाना उचित नहीं है। इसके अलावा अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र दिनांक 31.12.2010 तक ही वैध था तथा नवीनीकरण हेतु आवेदन दिनांक 15.11.2015 को लगभग 5 वर्ष बाद प्रस्तुत करना एवं शस्त्र को दिनांक 22.3.2014 को डीलर के पास जमा कराने से पूर्व शस्त्र आवेदक अपीलान्ट द्वारा अवैध रूप से स्वयं अपने पास रखने, अपीलान्ट के आपराधिक चरित्र एवं शस्त्र के दुरूपयोग होने की संभावना के को देखते हुये कानूना व्यवस्था एवं लोकशांति बनाये रखने हेतु लोकहित में जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा आर्म्स एक्ट की धारा 17(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी अपीलान्ट रामभरोसी का अनुज्ञापत्र संख्या 106/78 तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुये संबधित थानाधिकारी को निर्देश दिये गये है कि उक्त शस्त्र अनुज्ञापत्र पर दर्ज शस्त्र एक एन पी 12 बोर एसबीबीएल गन नम्बर 15532 को एक माह में जप्त कर थाने में जमा करें। जो विधिसंगत है। सहायक लोक अभियोजक द्वारा उल्लेख किया गया कि अपील अपीलान्ट बेबुनियाद तथ्यों पर आधारित होने के कारण खारिज की जावे तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.08.2016 यथावत रखा जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक तथा सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी गई व मनन किया गया। अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट की ओर से अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.08.2016 के विरूद्ध लगभग 05 वर्ष के विलम्ब से अपील पेश किये जाने व विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र संलग्न किये जाने का अपील अपीलान्ट मियाद संबंधी बिन्दु रिजर्व रखते हुए दर्ज रजिस्टर की गई है। अतः अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण पर विचार किये जाने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। अपील के साथ संलग्न दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 14.06.2021 को होने पर नकल प्राप्त करने व नकल प्राप्त होते ही जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद अपील पेश किये जाने का उल्लेख किया गया है। रैस्पो0 की ओर से न तो दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का कोई जबाब पेश किया गया है और न ही कोई काउन्टर शपथ पत्र ही पेश किया गया है। जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक 14.06.2021 से पूर्व रही हो। ऐसी स्थिति में मीमो आफ अपील के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में वर्णित जानकारी की तिथि पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है। इसके अलावा भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा कई नजीरों में मियाद के बिन्दु के संबंध में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं कि अपीलीय न्यायालयों को मियाद संबंध बिन्दु पर उदार रूख रखना चाहिये। तथा प्रकरण के गुणावगुण पर विचार करने के बाद ही अपील का निर्णय करना चाहिये। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण का प्रश्न है तो उक्त निर्णय में हम किसी तरह की कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं पाते हैं क्योंकि अपीलान्ट की ओर से

21.2.2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में उसके पक्ष में जारी अनुज्ञापत्र संख्या 106/78 जो कि दिनांक 31.12.2010 तक नवीनीकृत था, को नवीनीकरण किये जाने हेतु दिनांक 15.10.2015 को लगभग 05 वर्ष बाद आवेदन प्रस्तुत किया गया था। नवीनीकरण हेतु 05 वर्ष के विलम्ब से आवेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में किसी प्रकार का कोई पर्याप्त व उचित कारण नहीं बताया गया और न ही नवीनीकरण कराने में हुए विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु किसी प्रकार का कोई शपथ पत्र ही पेश किया गया। अपीलान्ट/प्रार्थी का आवेदन प्राप्त होने पर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय द्वारा पुलिस अधीक्षक धौलपुर से अपीलान्ट/प्रार्थी के अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण किये जाने बाबत् विधिवत रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपने पत्र कमांक 6738 दिनांक 23.12.2015 द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्रेषित की गई कि आवेदक के विरूद्ध गंभीर प्रकृति का अपराध पारित होने के कारण एवं साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया है। अतः आवेदक श्री रामभरोसी पुत्र श्री हेतसिंह निवासी परसुआपुरा थाना राजाखेडा जिला धौलपुर के शस्त्र अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंषा की जाती है। पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट प्राप्त होने पर जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर की ओर से अपीलान्ट/प्रार्थी को आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17(3)के तहत नोटिस कमांक 3963–64 दिनांक 06.04.2016 जारी किया गया है जिसमें पुलिस अधीक्षक से प्राप्त रिपोर्ट का उल्लेख कर यह अपेक्षा की गई कि नोटिस प्राप्ति के 07 दिवस में जबाब प्रस्तुत करें कि क्यों नहीं उनका शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त कर दिया जावे। अपीलान्ट/प्रार्थी की ओर से उक्त नोटिस का जबाब दिनांक 12.05.16 को प्रस्तुत किया गया जिसमें उल्लेख किया गया कि प्रार्थी का शस्त्र दिनांक 22.03.2014 से कृपाधाम कॉम्पलेक्स नियर डिसटिक्ट हास्पीटल फतेहागंज रोड तीजगंज आगरा के यहां जमा है। अपीलान्ट/प्रार्थी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण में दिनांक 09.04.2015 को सभी आरोपीगण को दोषमुक्त कर दिया गया है। इसलिए प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण किया जावे। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत जबाब का जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा अनुज्ञापत्र संबंधी पत्रावली पर पूर्ण विधिवत परीक्षण कराने व न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग करने के बाद अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.08.2016 पारित किया है जो कि स्पष्ट, स्पीकिंग व तथ्यों पर आधारित है। उक्त निर्णय में विद्वान जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि आवेदक के विरूद्ध आई.पी.सी. की विभिन्न धाराओं, 3पी.डी.पी. पी.एक्ट एवं 135 व 136 जनप्रतिनिधियुक्त अधिनियम में थाना राजखेडा में दर्ज हुआ था। जिसमें आवेदक के विरूद्ध चुनाव के दौरान मतदान प्रकिया में व्यवधान, मारपीट व सामग्री नष्ट करने का आरोप है। जिसमें पुलिस अधीक्षक धौलपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार साक्ष्य के अभाव में आरोप मुक्त किया गया है। इसके अलावा 05 वर्ष तक नवीनीकरण नहीं कराने शस्त्र को अपने पास अवैध रूप से रखने आदि का उल्लेख करते हुए यह माना है कि आवेदक के आपराधिक चरित्र एवं शस्त्र के दुरूपयोग होने की संभावना को देखते हुए कानून व्यवस्था एवं लोकशांति बनाये रखने हेतु लोकहित में आयुध अधिनियम की धारा 17(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुज्ञापत्र संख्या 106/78 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है जो कि उचित प्रतीत होता है। जहां तक वकील अपीलान्ट

27.2.2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

द्वारा बहस के दौरान दिया गया यह तर्क कि अदालत हाजा द्वारा एक अन्य प्रकरण जीतेन्द्र बनाम राज0 सरकार ने जिला कलक्टर धौलपुर के आदेश निरस्त कर प्रकरण पुनः प्रेषित किया गया था जिसमें जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल कर नवीनीकरण किया गया है। इस आधार पर उक्त प्रकरण में भी अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण किये जाने के निर्देश दिये जावें तो प्रथम तो वकील अपीलान्ट द्वारा अदालत हाजा द्वारा पारित इस तरह के कोई निर्णय की प्रति प्रस्तुत नहीं की है और द्वितीय प्रत्येक प्रकरण के तथ्य भिन्न–भिन्न होने के कारण एक प्रकरण में पारित निर्णय के आधार पर दूसरे प्रकरण में भी इसी तरह का निर्णय बिना गुणावगुण देखे किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.08.2016 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 27.2.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

27.2.2023

(सांवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

22